न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :-299/2020/भीलवाड़ा

1. रतन पुत्र मांगू
2. धन्नी पुत्री मांगू

समस्त जाति भील निवासीगण मलाण तहसील व जिला भीलवाड़ा

-अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती पुनम प्रजापति पत्नि एम0एल0प्रजापति निवासी बापू नगर, भीलवाड़ा हाल निवासी सी-24, एम0डी0कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
2. रामेश्वरलाल पुत्र सेवा भील निवासी टोब्या तहसील बेगूं जिला चित्ततौड़गढ़।
3. नानालाल पुत्र देवीलाल जाति भील निवासी माघपुरा डोराई तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
4. शंकर पुत्र किशनलाल जाति भील निवासी भेंसाकुण्डल जिला भीलवाड़ा।
5. सोहनलाल पुत्र रामलाल जाति भील निवासी भूतियाखेड़ा पोस्ट टीकड तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।
6. सुरेन्द्रसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति मीणा निवासी भूतियाखेड़ा पोस्ट टीकड तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।
7. रामपाल पुत्र फूलचन्द टेलर निवासी सांगानेर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।

-रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 19.02.2020 जो कि अपील संख्या 83/2017 में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:-

4. अपीलांट अभि0- श्री एम0एल0गुर्जर
5. रेस्पोडेंट अभि0-श्री लेघू मंघानी-1
6. राजकीय अभि0-श्री आकाश पारिक

निर्णय   दिनांकः-29.03.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मलाण तहसील व जिला भीलवाड़ा में खसरा संख्या 503 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 505 रकबा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 507 रकबा 9 बिस्वा , खसरा संख्या 508 रकबा 3 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा मांगू भील निवासी मलाण की खातेदारी में थी। मांगू भील की विरासत हरि बेवा मांगू व रतन पुत्र मांगू के नाम दर्ज की। हरि [illegible] मांगू के निधन के बाद विरासती नामातंरण 1403 तहसीलदार भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 7.12.2016 से अपीलांटस के नाम स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:16 IST
Reason: SelfAttested

नामातंरण संख्या 1403 दिनांक 07.12.2016 से व्यथित होकर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रतन पुत्र मांगू व

हरि बेवा मांगू ने विवादित भूमि के आवासीय भूखण्ड काटकर भूखण्ड संख्या 38 से 41,43,45 से 48, 42,44,37 एवं 49 कुल 13 भूखण्ड रेस्पोडेंट संख्या 2 को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने आगे चलकर अपने स्वामित्व के भूखण्ड संख्या 40.,41,45 एवं 46 कुल 4 भूखण्ड रेस्पोडेंट संख्या 1 को बेचान कर दिया। वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या 1 काबिज है। रेस्पोडेंट 1 की अपील प्रकरण संख्या 83/2017 के रूप में न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दर्ज कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 19.02.2020 से रेस्पोडेंट 1 की अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार स्वीकृत नामातंरण संख्या 1403 निर्णय दिनांक 07.12.2016 को अपास्त कर दिया तथा प्रकरण को पुनः मौके की स्थिति जांच कर उभयपक्षों की सुनवाई करके नियमों के प्ररिप्रेक्ष्य में पुनः नामातंरण कर पुनः पारित करने के आदेश दिये गये। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के उक्त निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की गई है–

1. रेस्पोडेंट संख्या 1 व्यथित पक्षकार नहीं है। क्योकि वे अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आये है।

2. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट 1 के द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत की गई।

3. अपील निस्तारण से पूर्व प्रार्थना पत्रों का निस्तारण आवश्यक है।

4. वर्तमान अपीलांट अनुसूचित जनजाति से है तथा रेस्पोडेंट गैर अनुसूचित जनजाति के है तथा ऐसे मामलों में भूमि का हस्तानांतरण नहीं किया जा सकता है।

5. जिला कलक्टर भीलवाड़ा का निर्णय आरटीए,एलआरएक्ट , रेवन्यु कोर्टस मैन्युअल, पंजीयन अधिनियम एवं सीपीसी के आज्ञापक प्रावधान के विपरीत है। अंत में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 19.02.2020 को निरस्त करते हुए तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत नामातंरण संख्या 1403 दिनांक 07.12.2016 को बहाल किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया। स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने निवेदन किया कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर भूमि का हस्तानांतरण अनुसूचित जनजाति वर्ग से गैर अनुसूचित जनजाति के वर्ग को नहीं किया जा सकता है। जिला कलक्टर के निर्णय की पालना यदि हो जाति है तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.02.2020 की पालना को स्थगित रखा जाये तथा विवादित भूमि के मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जायें। अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.02.2020 का है। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 30.06.2020 को प्रस्तुत करना पाया जाता है। कोरोना अवधि में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मियाद अवधि बाबत शिथिलीकरण किया गया था। अतः अपील को सुप्रीम कोर्ट निर्णय में दी गई व्यवस्था के अनुसार अंदर मियाद शुमार किया गया।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट एवं वकील रेस्पोडेंट उपस्थित रहे। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि नामांतरण संख्या 1403 से भी हरि बेवा मांगू के नाम दर्ज हुई थी। वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा के यहां नामातंरण संख्या 1403 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। 90बी की कार्यवाही हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by: Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:16 IST
Reason: SelfAttested

मकान बने हुए है। जिला कलक्टर द्वारा नामातंरण संख्या 1403 अपास्त कर दिया है और पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार के यहां भेजा हुआ है। यह द्वितीय अपील है। रामपाल पुत्र फूलचन्द टेलर से पूनम द्वारा प्लॉट क्रय करना बताया है। जबकि रामपाल खातेदार नहीं है। मूल खातेदार रतन पुत्र मांगू है। पूनम के पास अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। लॉअर कोर्ट में मियाद बाहर अपील की है। आरबीजे 2010 पेज 289 तीन दिन की देरी को भी नही माना गया। रतन और हरि द्वारा कोई बेचान नहीं। पूनम ने रामचन्द्र पुत्र फूलचन्द से अनुतोष मांगा। बहस में रेस्पोडेंट अभिभाषक ने बताया कि भूमि शहरी क्षेत्र सुभाषनगर में भीलवाड़ा शहर में स्थित है। भूमि मांगू की है। मांगू की मृत्यु के बाद भूमि हरि बेवा मांगू और रतन पुत्र मांगू के नाम दर्ज हुई। रतन और हरि ने मिलकर कृष्णानगर कॉलोनी काटी है जिसकी 90 हो रखी है। विवादित भूमि अब कृषि भूमि नहीं रही है। रामपाल ने रतन हरि से 13 भूखण्ड खरीदे। रामपाल से पूनम ने 4 प्लॉट खरीदे। यूआईटी में नियमन की पत्रावली लगायी गई। मकान बनाये। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि में सड़क, नालीयां मकान बने हुए हुए है। हरि की मृत्यु के बाद पुनः विरासत खोली गई तथा रतन और धनी(पुत्री) के नाम नामातंरण हुआ। भूमि बेचान की जा चुकी है। अनुसूचित जनजाति वर्ग पर हिन्दु उत्तराधिकार वर्ग पर लागू नहीं है। जिसमें बेटी का हक नहीं है। हमारी आपत्ति को जिला कलक्टर ने माना है। दिनांक 10.07.1999 को 90ए के साथ 90बी जोड़ा गया था। परिपत्र दिनांक 04.12.1999 से धारा बी में संशोधन किया गया। अपील खारिज की जायें। बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय उनके निर्णय के अनुसार ''वादग्रस्त भूमि ग्राम मलाण तहसील भीलवाड़ा नगर परिषद की शहरी क्षेत्र कृषनगर में स्थित है। अपीलांट द्वारा जि लेआउट प्लान की फोटोप्रति प्रस्तुत की है। उसके अनुसार प्रतीत होता है कि मूल खातेदार रतन पुत्र मांगू व मु0 हरि बेवा मांगू ने खसरा नम्बर 503 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 505 रकबा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 507 रकबा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 508 रकबा 3 बीघा भूमि पर कृष्णानगर की स्थापना की तथा इस पर भूखण्ड काटकर कब्जा किया। अपीलांट ने भूखण्ड संख्या 40 क्षेत्रफल 25 गुणा 40 ,भूखण्ड संख्या 41 क्षेत्रफल 25 गुणा 40, भूखण्ड संख्या 45 क्षेत्रफल 25 गुणा 40, भूखण्ड संख्या 46 क्षेत्रफल 25 गुणा 40 कुल भूखण्ड जरिये इकरारनामा क्रय किये है तथा इस पर निर्माण कर बिजली का कनेक्शन लिया है। कृषि भूमि का अकृषि होना उपयोग लिया है। पक्षकारों के बीच वादग्रस्त भूमि के न्यायालय में दावे व फौजदारी इस्तगा से विचाराधीन है। वर्तमान में उपजिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा द्वारा इस भूमि पर रिसीवर भी नियुक्त किया है। इस प्रकार मामला पूरा विवादित होने पर भी तहसीलदार भीलवाड़ा ने भूखण्ड धारियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा मौके की स्थिति देखे बिना नामातंरण पर आदेश पारित कर दिया। जबकि वादग्रस्त भूमि कृषि प्रयोजन न होकर अकृषि प्रयोजन में होने से नियमों के प्ररिप्रेक्ष्य में तहसीलदार भीलवाड़ा को नामातंरण संख्या 1397 में निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उनकी बेटी को मृतक की सम्पत्ति में हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। पटवारी हल्का के मौका पर्चा दिनांक 11.05.2017 के अनुसार आराजी संख्या 505 और 508 में मौके पर पक्के मकान व सड़के बनी होना अंकित किया है तथा खसरा नम्बर 505 व 508 के संबंध में एलआरएक्ट की धारा 90ए के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 16.08.2013 से ही प्राधिकृत अधिकारी यूआईटी भीलवाड़ा ने लोकसूचना जारी करके आवासी भूखण्ड के पट्टे भी जारी किये है [illegible]ार वादग्रस्त आराजी का कृषि से अकृषि उपयोग विरासत नामातंरण की कार्यवाही से पूर्व [illegible] है।

मांगू की मृत्यु के बाद विरासत का नामातंरण मृतक की बेवा हरि व मृतक के पुत्र रतन के नाम खोला गया है। उस समय मृतक की बेटी धनी पुत्री मांगू का नाम विरासती नामातंरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh
Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:16 IST
Reason: SelfAttested

में नही किया गया है। जब मृतक की बेवा का देहांत हुआ तो विरासत के नामातंरण में बेटे के साथ बेटी का नाम दर्ज कर दिया गया।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील को मियाद बाहर होना बताया है। जबकि अनेकाअनेक न्यायिक दृष्टांतों में यह व्यवस्था दे दी गई है तो एक बार जब अपील कों अधीनस्थ न्यायालय में अंदर मियाद मान लिया जाता है तो अपील न्यायालय को मियाद के उपर विचार नही करना चाहिए। विवादित भूमियों के संबंध में तहसीलदार द्वारा 175,177 आरटीए के तहत उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा समक्ष प्रकरण संख्या 356/2017 दर्ज करवाया गया था। इस बाबत वकील रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि उक्त वादपत्र उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर निर्णय करते हुए उपखण्ड अधिकारी द्वारा उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 175 व 177 को विधि विरूद्ध होने से खारिज कर दिया। पत्रावली पर प्रस्तुत उक्त निर्णय के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि भूमि अब अपीलांटगण के नाम दर्ज नहीं रही है। मूल नामातंरण संख्या 1403 ग्राम मलाण का अवलोकन किया गया। कॉलम नम्बर 3 में रतन पिता मांगू 3/4, धनी पुत्री मांगू 1/4 भील साकिन देह अंकित है। कॉलम नम्बर 4 में खाता संख्या 96 दर्ज है। कॉलम 5 में खसरा नम्बर , और कॉलम नम्बर 6 में क्षेत्रफल अंकित है। कॉलम नम्बर 5 में खसरा नम्बर 504 तथा कॉलम नम्बर 6 में रकबा 0.02 हे0 इसी प्रकार खसरा नम्बर 505 रकबा 0.19, खसरा नम्बर 508 रकबा 3.00 कुल किता 3 रकबा 7.01 बीघा अंकित है। नामातंरण के कॉलम संख्या 10 में रतनलाल पिता मांगू 3/4 भी साकिन देह तथा रामेश्वरलाल पिता सेवाभील निवासी टोब्या तहसील बेगूं जिला चित्तोड़गढ़, नानालाल पिता देवीलाल भील निवासी बागपुरा डोराई, तहसील बेंगूं 1/4 खातेदार अंकित है। स्पष्ट है कि धन्नी द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 विक्रय कर दिया। साथ ही रतन पुत्र मांगू द्वारा भी अपने 3/4 हिस्से में से अपने हिस्से की भूमि के 1/3 भाग शंकर भील पिता किशनलाल भील निवासी भैसाकुण्डल जिला भीलवाड़ा एवं 1/3 हिस्सा सोहनलाल भील , आत्मज रामलाल भील निवासी जटवाड़ा डोराई, तहसील बेगूं जिला चितौड़गढ़, अपना 1/3 हिस्सा सुरेन्द्र सिंह मीणा आत्मज रणजीत सिंह मीणा निवासी भूमियाखेड़ा पोस्ट टिकड़ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को दिनांक 12.06.2017 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी गई है। भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी गई है। अब अपीलांट का कोई हिस्सा उक्त खसरा नम्बरों में नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण के अभाव में खारिज किया जाता है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित भूमियां सर्वप्रथम मांगू के नाम दर्ज थी। उसकी विरासत के बाद उसकी पत्नि हरि और और उसके पुत्र रतन के नाम दर्ज हुई। उक्त दोनो के द्वारा विवादित भूमियों पर कृष्णानगर नाम से भूखण्ड काटकर विक्रय किया था। उक्त दोनो से कुछ प्लॉट रामपाल द्वारा खरीद किये गये थे। उनमें से दो प्लॉट पूनम को विक्रय किये गये। यूआईटी भीलवाड़ा द्वारा आवासीय भूखण्ड के पट्टे 90ए के तहत काटे जा चुके है। यह होने के बाद दिनांक 07.12.2016 को रतन एवं धनी के नाम नामातंरण संख्या 1403 में खोला गया। बाद में इनके द्वारा भी उक्त भूमियां अन्य व्यक्तियों को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की है। वर्तमान में भूमि पर मकान सड़के आदि बने हुए है। अब भूमि कृषि भूमि नहीं रही है। अपीलांटगण का विवादित खसरा नम्बरों में कोई विक्रय करने के बाद अब कोई हिस्सा शेष नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकते है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:16 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 83/2017 उनवानी श्रीमती पूनम प्रजापति बनाम रतन एवं अन्य विरूद्ध नामातंरण संख्या 1403 दिनांक 07.12.2016 द्वारा तहसीलदार भीलवाड़ा को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:16 IST
Reason: SelfAttested